216

वित्तीय स्वीकृति/आयोजनागत
संख्या– /XVII-1/2014–10(12)2014

प्रेषक,

एस. राजू,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
जनजाति कल्याण, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

समाज कल्याण अनुभाग–01 देहरादून : दिनांक 17 अक्टूबर, 2014

विषय–अनुसूचित जनजाति हेतु शिल्पी ग्राम योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या–318/XXVII(1)/2014 दिनांक 18.03.2014 एवं मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन का पत्र संख्या 1041/वा0यो0/रा0यो0आ0/2013–14 दिनांक 19.09.2014 के सम्बन्ध मे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुसूचित जनजाति हेतु शिल्पी ग्राम योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–31 के आयोजनागत पक्ष के प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष संलग्न एलोटमेंट आई0डी0 **संख्या–** S1410310110 **दिनांक** 17.10.2014 के अनुसार आयोजनागत पक्ष में रू0 5.00 लाख **(रूपये पांच लाख मात्र)** की धनराशि को निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखते हुए व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. शासनादेश संख्या 1685/XVII–4/2014–10(12)2014 दिनांक 01 सितम्बर, 2014 के द्वारा अवमुक्त धनराशि के पूर्ण उपभोग करने तथा उक्त के संबंध में उपभोग प्रमाण पत्र लाभार्थियों के विवरण सहित शासन को उपलब्ध कराने के उपरान्त ही वर्तमान में अवमुक्त इस शासनादेश द्वारा जारी की जा रही धनराशि का आहरण एवं वितरण किया जाएगा।
2. वित्त अनुभाग–1 के शासनादेश संख्याः–318/XXVII(1)/2014 दिनांक 18 मार्च, 2014 तथा शासनादेश संख्या 80/अ.मु.स./पी.एस./2014–15 दिनांक 23.04.2014 में उल्लिखित समस्त शर्तों एवं दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. अवचनबद्ध मदों में व्यय करने से पूर्व सक्षम स्तर का अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाय।
4. आय–व्ययक द्वारा व्यवस्थित उक्त धनराशि केवल स्वीकृत मदों पर ही व्यय किया जाए और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग अन्य मदों में न किया जाए।
5. स्वीकृत मदों में आवंटित धनराशि का उपयोग, यदि किसी अन्य मद में करना आवश्यक हो, तो व्यय/उपभोग करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका के अनुसार शासन अथवा सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।
6. आहरण वितरण अधिकारी का दायित्व होगा कि आवश्यकतानुसार आवंटित धनराशि के सम्पूर्ण लेखाशीर्षकों यथा मुख्य/लघु/उप/विस्तृत/शीर्षक (मानक मद) तथा तत्सम्बन्धी अनुदान संख्या आयोजनागत/आयोजनेत्तर शब्द आदि का स्पष्ट उल्लेख बिलों में किया जाय, ताकि महालेखाकार से मिलान में असुविधा न हों।

7. स्वीकृति के संलग्नक के अनुसार आवंटित धनराशि को समय से उपयोग करने हेतु सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारियों/सम्बन्धितों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाय तथा आवंटित धनराशि के उपयोग आदि सूचना यथासमय शासन को प्रेषित किया जाय।
8. संलग्नक में वर्णित धनराशियों का समय से उपयोग करने के लिये यह भी सुनिश्चित कर लें कि धनराशि परिधिगत अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त करते हुए, आवंटन एवं व्यय की स्थिति से यथासमय शासन को अवगत करायें।
9. किसी भी शासकीय व्यय हेतु प्रोक्योरमेन्ट रूल्स, 2008, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1(लेखा नियम) आय–व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सनिश्चित किया जाय।
10. यह उल्लेखनीय है कि शासन के व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययिता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
11. बी0एम0–08 पर संकलित मासिक व्यय की सूचनाऐं नियमित रूप से शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
12. **उक्त स्वीकृत धनराशि को आहरण कर बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से प्रबंध निदेशक, उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम को उपलब्ध कराया जाएगा।**
13. उपरोक्तानुसार निर्देशों को कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।
14. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–31 के आयोजनागत पक्ष के अन्तर्गत संलग्न तालिका में उल्लिखित मुख्य लेखाशीर्षक– 2225-02-800–13–00 की सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जाएगा।
15. यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः–318/XXVII(1)/2014 दिनांक 18.03.2014 एवं राज्य योजना आयोग के पत्र संख्या 1041/वा0यो0/रा0यो0आ0/2013–14 दिनांक 19.09.2014 के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

संलग्न– यथोक्त।

भवदीय,

(एस. राजू)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या–1839 (1)/XVII-1/2014–10(12)2014, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, सचिवालय उत्तराखण्ड देहरादून।
3. प्रबंध निदेशक, उत्तराखण्ड बहु0 वि0 एवं विका0 नि0 लि0, देहरादून।
4. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
5. आदेश पंजिका।

आज्ञा से,

(कवीन्द्र सिंह)
उप सचिव।

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20142015

Secretary, Social Welfare (S045)

आवंटन पत्र संख्या - 1839/XVII-1/2014-10(12)/2014

अनुदान संख्या - 031

अलोटमेंट आई डी - S1410310110

आवंटन पत्र दिनांक - 17-Oct-2014

HOD Name - Director Tribal Welfare (4706)

1: लेखा शीर्षक 2225 - अनु0जातियों , अनु0जनजातियों तथ अन्य पिछड़े व 02 - अ0सू0जन जातियों का कल्याण

800 - अन्य व्यय 13 - शिल्पी ग्राम योजना

00 - शिल्पी ग्राम योजना

Plan Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
20 - सहायक अनुदान/अंशदान/राज	500000	500000	1000000
	500000	**500000**	**1000000**

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes - 500000